जनविरोधी बिजली संशोधन बिल-2014 के खिलाफ कर्मचारियों व इंजीनियरों के उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन करने का ऐलान किया : सुभाष लाम्बा

नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज एण्ड इंजीनियर्स का उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन 28 दिसम्बर, 2017 को भकना भवन, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। सम्मेलन में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूटी चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों ने शिरकत की। इस अवसर पर सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में बिजली संशोधन बिल-2014 को जन एवं कर्मचारी विरोधी और निजी कंपनियों को भारी मुनाफा पहुंचाने का बिल करार देते हुए देशव्यापी आन्दोलन छेड़ने का ऐलान किया गया। आन्दोलन के लिए गए निर्णय के तहत 21 जनवरी, 2018 तक सभी राज्यों में कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों व इंजीनियरों के संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिसमें बिल के गरीब ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं, किसानों व कामगारों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। आन्दोलन के अगले चरण में बजट सत्र के दौरान बिजली कर्मचारी व इंजीनियर संसद के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने जनविरोधी बिजली संशोधन बिल-2014 को पारित करवाने के प्रयास किए, तो कर्मचारी व इंजीनियर बिना किसी और नोटिस दिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर एसोसिएशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दूबे, इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव एवं नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज एण्ड इंजीनियर्स के कन्वीनर का. पी एन चौधरी, ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज के डिप्टी जनरल सैक्रेट्री मौहम्मद समीउल्ला व ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स के डिप्टी सैक्रेट्री जनरल देवेन्द्र सिंह ने संयुक्त तौर पर की।

इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने सम्मेलन में आन्दोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि इलैक्ट्रीसिटी एक्ट-2003 के बाद ऊर्जा क्षेत्र में किए गए तमाम सुधार बुरी तरह विफल रहे हैं। इन विफलताओं से सबक लेने की बजाय केन्द्र सरकार बिजली संशोधन बिल-2014 को आगामी बजट सत्र में पारित कराने पर आमादा है। जिसमें बिजली आपूर्ति करने के लाईसेंस कई निजी कंपनियों को देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल पारित हो गया तो, बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियां मुनाफे वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिजली देकर भारी मुनाफा कमाएंगी। जबकि सरकारी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कंपनी ग्रामीण क्षेत्रो, किसानो, गरीबों और आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर केवल घाटे में रहेंगी। जिसके कारण सरकारी बिजली आपूर्ति कंपनियों का दीवाला निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के प्रावधानों के तहत क्रास सब्सिडी खत्म होगी, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं व किसानों का टैरिफ बढ़ेगा और बिजली इनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति का कार्य निजी कंपनियां करेंगी तो, इस क्षेत्र में लगे कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटकी रहेगी। उन्होंने सम्मेलन में आए कर्मचारियों व

इंजीनियरों के प्रतिनिधियों से जनविरोधी बिजली संशोधन बिल-2014 के खिलाफ निर्णायक आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया।

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर एसोसिएशन के चेयरमैन इंजीनियर शैलेन्द्र दूबे ने कहा कि नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज एण्ड इंजीनियर्स वर्ष 2014 से ही बिजली संशोधन बिल-2014 का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी की पूर्व ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से इस बारे में 2015-2016 में कई बार बातचीत हुई। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कमेटी द्वारा उठाए गए कई बिन्दुओं से सहमत होते हुए बिजली संशोधन बिल-2014 में तदानुरूप संशोधन करने के बाद ही पारित करवाने के लिए संसद के पटल पर रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बड़े खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार की ओर से आज तक कोई संशोधित प्रस्ताव कमेटी के पास नहीं आया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 20 प्रांतों की राय व 25 लाख बिजली कामगारों व इंजीनियरों के विरोध की अनदेखी करते हुए केन्द्र सरकार बिल को बजट सत्र में पारित कराने पर आमादा है। उन्होंने ऐलान किया कि यह सम्मेलन ऐसे किसी भी जनविरोधी कदम का पुरजोर विरोध करने का संकल्प लेता है। उन्होंने कहा कि तथाकथित सुधारों के नाम पर देश में सबसे पहले उड़ीसा बिजली बोर्ड का विघटन किया गया। उड़ीसा में चारों विद्युत कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। इनमें एक कंपनी अमेरिका की एईएस कंपनी थी, जो साल भर बाद ही वापिस भाग गई। तीन वितरण कंपनियां रिलायंस को दी गई थी, जिसके लाईसेंस उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग द्वारा फरवरी, 2015 में रद्द कर दिए गए थे। लाईसेंस रद्द करने का मुख्य कारण यह बताया गया कि रिलायंस लाईन लॉसिज घटाने और बिजली व्यवस्था में सुधार करने में पूरी तरह विफल रहा है। रिलायंस ने लाईसेंस रद्द करने के विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मुकद्दमा लड़ा, किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलायंस की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि अत्यंत खेद का विषय है कि इतना सबकुछ होने के बावजूद उड़ीसा में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करने की प्रक्रिया पुनः चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर निजीकरण का प्रयोग दिल्ली में पूरी तरह विफल रहा और आम जनता निजी कंपनियों के मनमानेपन से परेशान है। नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज एण्ड इंजीनियर्स के कन्वीनर व ईईएफआई के राष्ट्रीय महासचिव पी एन चौधरी ने सम्मेलन में बोलते हुए इस बात पर चिंता प्रकट की, कि केन्द्र और राज्य सरकारों की निजी घरानों पर अति निर्भरता की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के चलते आम लोगों के लिए बिजली महंगी होती जा रही है, जबकि जनता के पैसे से बने बिजली नेटवर्क के सहारे ही निजी घराने अरबों-खरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य की निजी घरानों के प्रति अति निर्भरता की गलत ऊर्जा नीति के चलते बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा 4.3 लाख करोड़ रुपए और कर्जा 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जबकि इलैक्ट्रीसिटी एक्ट-2003 बनने से पहले सभी राज्य बिजली बोर्डों का कुल घाटा लगभग 30 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि राज्य बिजली बोर्डों

का विघटना यह कहकर किया था कि बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। किन्तु विघटन के बाद बिजली वितरण कंपनियों के लगातार बढ़ रहे घाटे से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित सुधारों के नाम पर चल रही ऊर्जा नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अगर बहुमत के बल पर केन्द्र सरकार उक्त बिल को पारित करवाने में सफल रही, तो जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से खड़े किए गए बिजली वितरण ढांचे को निजी कंपनियां मामूली शुल्क देकर भारी मुनाफे के लिए प्रयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि तमाम दावों के बावजूद देश में उत्पादन क्षमता का आधा भी उत्पादन नहीं हो रहा। यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि निजी कंपनियां बिजली उत्पादन कर भारी मुनाफा बटोर सकें। उन्होंने कहा कि तमाम दावों के बावजूद करीब 30 करोड़ घरों में आज भी बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पास कमेटी के सुझावों को सुनने तक का समय नहीं था और जब कोच्चि (केरल) में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में उनका घेराव किया तो उन्हें घंटों भर बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद दिल्ली में हुई बैठक में बिल से कई प्रावधानों को हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जिसके कारण ही कमेटी को पुनः आन्दोलन पर आने पर मजबूर होना पड़ा है। ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता इंजीनियर पदमजीत सिंह ने कहा कि हाल ही में रिलायंस ने मुंबई में बिजली के वितरण, प्रेषण और उत्पादन का अपना पूरा नेटवर्क अदानी पॉवर को 18,800 करोड़ रुपए में सौंप दिया है। जबकि रिलायंस ने 1452 करोड़ रुपए की इलैक्ट्रीसिटी डयूटी महाराष्ट्र राज्य को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आम जनता का ध्यान हटाने हेतु मुंबई में यह सब ड्रामा निजी घरानों की मिलीभगत का ही एक पेज है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के नाम पर औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों के अधिक राजस्व वाले शहरों के विद्युत वितरण को निजी फ्रेंचाईजी को सौंपा गया है, किंतु निजी घरानों की लूट की नीति के चलते यह प्रयोग भी असफल हो गया है। औरंगाबाद, जलगांव, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और भागलपुर के फ्रेंचाईजी करार रद्द किए जा चुके हैं और शेष अन्य रद्द किए जाने की प्रक्रिया में है। ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज के डिप्टी जनरल सैक्रेट्री मोहम्मद शमीउल्ला ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जो हसीन सपने देश की जनता को दिखाकर सत्ता में आई थी, उन पर अमल न होने के कारण जनता में निराशा व असंतोष है। उन्होंने कहा कि बिजली जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी पूरी तरह निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार मेहनतकशों की एकता तोड़ने और सरकार की नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ उभर रहे आन्दोलनों को कमजोर करने के लिए जाति एवं धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बिजली संशोधन बिल-2014 को जनविरोधी बताते हुए सम्मेलन में पेश किए

गए प्रस्ताव का समर्थन किया। ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर के डिप्टी सैक्रेट्री जनरल देवेन्द्र सिंह ने कहा कि हर्ष का विषय है कि बिजली संशोधन बिल-2014 के संभावित खतरों से भांपकर बिजली कर्मचारी व इंजीनियर एक मोर्चे पर आए हैं। उन्होंने सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा कि पूरे देश के डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर इस बिल के खिलाफ जो भी निर्णय नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी लेगी, उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

सम्मेलन में इलैक्ट्रीसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लाम्बा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर उत्तराखंड पॉवर इंजीनियर एसोसिएशन के प्रधान एम सी गुप्ता, हरियाणा के महासचिव के के मलिक, यूपी पॉवर इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव राजीव सिंह, दिल्ली विद्युत बोर्ड इंजीनियर एसोसिएशन के प्रधान पी के रॉय, टैक्नीकल सर्विसेज यूनियन पंजाब के प्रधान कुलदीप सिंह खन्ना, ऑल हरियाणा पॉवर कॉरपोरेशनज वर्कर यूनियन के महासचिव व ईईएफआई के सचिव नरेश कुमार, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब के महाचिव व ईईएफआई के उपाध्यक्ष कार्जवेन्द्र सिंह, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्पलाईज यूनियन के प्रधान कुलदीप सिंह, जम्मू कश्मीर पॉवर डिपार्टमेंट कर्मचारी यूनियन के प्रधान का. मोहम्मद मकबूल, यूटी चंडीगढ़ पॉवरमैन यूनियन के ज्वाइंट सैक्रेट्री ध्यान सिंह, पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर फैडरेशन हरियाणा के उपप्रधान अभिमन्यु धनखड़ आदि ने सम्बोधित किया। उक्त तमाम पदाधिकारियों ने प्रस्तावित आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। यूटी चंडीगढ़ पॉवरमैन यूनियन के जनरल सैक्रेट्री गोपालदत्त जोशी ने सम्मेलन में आए सभी पदाधिकारियों व राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया और सम्मेलन में लिए गए आन्दोलन के निर्णयो को मजबूती से लागू करने का आह्वान किया। सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्पलाईज यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा, एमएसयू के पूर्व महासचिव हरभजन सिंह, टीएसयू पंजाब के महासचिव जैन सिंह, ऑल हरियाणा पॉवर कॉरपोरेशनज वर्कर यूनियन के डिप्टी जनरल सैक्रेट्री रमेशचंद , यूटी चंडीगढ़ पॉवरमैन यूनियन के प्रधान सतपाल सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान विजय सिंह व उपप्रधान देशराज आदि भी उपस्थित थे।

<u>क्या हैं बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की मांगें : -</u>

1. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के दुष्प्रभावों पर पुनर्विचार कर बिजली निगमों का एकीकरण किया जाये और तत्काल प्रभाव से निजीकरण, फ्रेंचाइसी पर रोक लगाई जाये।
2. जन विरोधी और कामगार विरोधी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2014 को संसद से पारित कराने की प्रक्रिया पूरी तरह रोक दी जाये।
3. इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल-2014 के कर्मचारी विरोधी एवं उपभोक्ता विरोधी प्राविधानों पर नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एण्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) से विस्तृत वार्ता की जाये।
4. 17 एवं 18 नवम्बर 2017 को बेंगलूरु में ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन द्वारा पॉवर सेक्टर पर आयोजित नेशनल सेमीनार के निर्णयों और निष्कर्षों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में वास्तविक सुधार हेतु केन्द्र और राज्य सरकार समुचित कदम उठाये, सेमीनार के निष्कर्षों का राष्ट्रीय स्तर पर पालन किया जाये और बिजली के क्षेत्र में सुधार हेतु बिजली विशेषज्ञों की सलाह ली जानी चाहिए।
5. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की नीति लागू की जाये तथा नियमित प्रकृति के कार्यों हेतु नियमित भर्ती की जाये।
6. विद्युत परिषदों के विघटन के बाद या 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाये।
7. बिजली के क्षेत्र में कार्य कर रहे कामगारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाये।
8. ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों को निजी घरानों को सौपने की प्रक्रिया बंद की जाये।
9. बिजली के क्षेत्र में निजीकरण / विनिवेश पूरी तरह बंद किया जाये।
10. बिजली का अधिकार मानवीय अधिकार बनाया जाये।